राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड

राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर–302018 फोन–0141–2552796 (कार्या.)

क्रमांक प. 1(7) RSMSSB/संस्था/पद स्थापन/2015/1450-51 दिनांक : 16.10.2015

–:: विज्ञप्ति ::–

राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड का गठन कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 29.01.2014 के अनुसार किया गया है। कार्मिक विभाग द्वारा स्वीकृत रिक्त चल रहे पदों में से निम्न पदों पर राजस्थान सचिवालय सेवा के अधिकारी/कार्मिकों के अलावा अन्य राजकीय विभागों में समकक्ष पदों पर कार्यरत इच्छुक अधिकारी/कार्मिक तथा सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी एक मुश्त संविदा राशि पर नियुक्ति पाने हेतु आवेदन कर सकते है। रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.सं.	पद का नाम	पे–बेण्ड	ग्रेड पे	रिक्त पदों की संख्या
1.	अनुभागाधिकारी	9300–34800	4800/–	2
2.	निजी सहायक (स्टेनो)	9300–34800	4200/–	5
3.	लिपिक ग्रेड–I	5200–20200	2800/–	2
4.	लिपिक ग्रेड–II	5200–20200	2400/–	3
5.	सहायक कर्मचारी	5200–20200	1700/–	2

बोर्ड में रिक्त उक्त पदों के विरूद्ध जो भी सेवारत अधिकारी/कर्मचारी प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण पर आने के इच्छुक हों, वे अपना आवेदन संबंधित विभागाध्यक्ष के माध्यम से तथा सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी सीधे ही दिनांक **25.11.2015** तक बोर्ड कार्यालय में प्रेषित करना सुनिश्चत करें।

अन्य विभागों से आने वाले सेवारत अधिकारियों/कर्मचारियों के संबंध में निम्न प्रावधान लागू होंगेः–

1. कार्मिक (क–2) विभाग के पत्र क्रमांक प. 8(22)कार्मिक/क–2/2008 पार्ट–1 दिनांक 11.05.2015 के अनुसार राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर एवं शासन सचिवालय, जयपुर से राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर कार्यालय में पदस्थापित कार्मिकों को अपने पैतृक विभाग के अनुसार विशेष वेतन भत्ता देय होगा।
2. अन्य राजकीय विभागों से आने वाले कार्मिकों की प्रतिनियुक्ति के संबंध में प्रतिनियुक्ति भत्ता, विशेष भत्ता एवं अन्य सुविधाऐं बोर्ड में पदस्थापन के पश्चात् अनुज्ञेय नहीं होंगे।
3. प्रतिनियुक्ति अवधि को बढ़ाया जावें अथवा नहीं यह निर्णय बोर्ड पर निर्भर करेगा।

(सांवर मल वर्मा)
सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत हैः–

1. प्रभारी अधिकारी, आई.टी. अनुभाग को यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त विज्ञप्ति कार्मिक विभाग की वेब साईट पर अपलोड होने के पश्चात् बोर्ड की वेब साईट पर अपलोड करे।

सचिव